

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 मार्च 2020

क्र. एफ 3-26-2020-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973), की धारा 23-“क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 1130-उपा-टीसी-04-भोपाल-2020 दिनांक 25 फरवरी 2020 द्वारा प्रकाशित भोपाल विकास योजना 2005 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार एवं संचालक नगर तथा ग्राम निवेश के प्रतिवेदन के आधार पर उक्त धारा की उपधारा (2) प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-

अनुसूची

क्र.	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ग्राम-सेवनिया गोड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल	32	कुल रकबा 1.428 हेक्टेयर में से 1.214 हेक्टेयर	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (योग एवं मेडिटेशन)

1. यह की आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 15(3) (क) के अंतर्गत देय राशि रुपये 16,02,480/- (रुपये सोलह लाख दो हजार चार सौ अस्सी मात्र) दिनांक 16 मार्च 2020 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चालान क्रमांक 00013 द्वारा राजकीय कोष में जमा कर दी है.

2. उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश,
ई-5, अरेरा कालोनी, पर्यावरण परिसर, भोपाल, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 28 फरवरी, 2020

सागर विकास योजना 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 1206-वि.यो.-नगानि-2019.—एतद्वारा सूचना दी जाती है कि सागर विकास योजना 2031 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है. जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त सागर, संभाग सागर
2. कलेक्टर सागर, जिला सागर
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय सागर म. प्र.
4. आयुक्त नगर पालिक निगम, सागर

प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण

1. अध्याय-4

4.5.2-आवासीय भूखण्डीय विकास के नियमन

1. भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 2.00 हेक्टे.
2. आवासीय अभिन्यास में न्यूनतम खुला क्षेत्रफल 10 प्रतिशत
3. सेवाओं हेतु न्यूनतम आरक्षित क्षेत्र 1.5 प्रतिशत
4. सुविधाजनक दुकानें हेतु अधिकतम 5 प्रतिशत
5. आवासीय प्रयोजन के स्वीकृत अभिन्यास के भूखण्डों पर भवन निर्माण संबंधी नियोजन मापदण्ड सारणी क्रमांक 4-सा-2 अनुसार होंगे.
6. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अल्प आय वर्ग हेतु प्रावधान म. प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956/म. प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961/म. प्र. पंचायती राज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुरूप.

आवासीय भूखण्डीय विकास नियमन

4-सा-2

क्र.	भूखण्ड का आकार (मी. में)	क्षेत्र (वर्ग मीटर) न्यूनतम	विकास का प्रकार	भू-आच्छादन क्षेत्र प्रतिशत में	एफ.ए. आर. अधिकतम	एम.ओ.एस. (मी.) में				भूखण्ड के सामने मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई (मी. में)	अधिकतम उंचाई (मी. में)	एक भूखण्ड पर अधिकतम स्वीकार्य आवासीय ईकाइयां
						अग्र	पार्श्व	आजू	बाजू			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	4.0X8.0	20-32	पंक्ति	60	1.25	3.00	0.0	0.0	0.0	6	9	2
2	4.0X12.0	33-48	पंक्ति	60	1.25	3.00	1.5	0.0	0.0	6	9	2
3	5.0X15.0	49-75	पंक्ति	60	1.25	3.00	1.5	0.0	0.0	6	9	2
4	7.0X15.0	76-105	पंक्ति	50	1.25	3.00	1.5	0.0	0.0	7.5	9	2
5	9.0X15.0	106-135	अर्धपृथक्कृत	50	1.20	3.00	1.5	0.0	0.0	7.5	12.5	3
6	11.10X18.0	136-200	अर्धपृथक्कृत	50	1.20	3.00	2.0	0.0	0.0	9.0	12.5	3
7	12.0X18.0	201-216	अर्धपृथक्कृत	42	1.20	3.5	0.0	0.0	0.5	9.0	12.5	3
8	12.0X24.0	217-288	पृथक्कृत	40	1.15	4.5	2.5	3.5	1.5	9.0	12.5	4
9	12.0X24.0	288-360	पृथक्कृत	33	1.15	6.0	2.5	3.0	3.0	12.0	12.5	6
10	15.0X27.0	361-405	पृथक्कृत	35	1.15	7.5	3.0	3.5	3.0	12.0	12.5	7
11	18.0X30.0	406-540	पृथक्कृत	33	1.15	8.0	3.0	4.0	3.0	12.0	12.5	8
12	20X30.0	541-600	पृथक्कृत	33	1.15	9.0	3.0	4.5	3.0	12.0	12.5	9
13	25X30.0	601-750	पृथक्कृत	30	1.15	12.00	4.5	4.5	4.5	12.0	12.5	10
14	30X30.0	751-999	पृथक्कृत	30	1.15	12.0	4.5	4.5	4.5	12.0	12.5	10

नोट :

1. अनुक्रमांक 9 से 14 के भूखण्डों के समक्ष यदि 12 मीटर या उससे अधिक चौड़ा मार्ग उपलब्ध है तथा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् क्रियान्वित किये जाने वाले इस विकास में आवश्यक सेवाएँ एवं सुविधाएँ प्रावधानित हो तो ऐसे भूखण्डों पर बहु आवासीय ईकाइयां मान्य होगी अन्यथा केवल 4 आवासीय ईकाइयां की संख्या मान्य होगी।

2. यदि आवासीय भवन का निर्माण 2.4 मीटर ऊंचाई के स्टिल्ट पर, स्वीकार्य ग्राउण्ड कवरेज की सीमा तक किया जाता है तो स्टिल्ट फ्लोर की ऊंचाई तथा ऐसे निर्मित क्षेत्र की गणना, क्रमशः भवन ऊंचाई तथा एफ.ए.आर. से नहीं की जाएगी।

उपरोक्त को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है : -

अध्याय-4

4.5.2 - आवासीय भूखण्डीय विकास के नियमन

1. सेवाओं हेतु न्यूनतम आरक्षित क्षेत्र 1.5 प्रतिशत
2. आवासीय प्रयोजन के स्वीकृत अभिन्यास के भूखण्डों पर भवन निर्माण संबंधी नियोजन मापदण्ड सारणी क्रमांक 4-सा-2 अनुसार होंगे।

आवासीय भूखण्डीय विकास नियमन

कं	भूखण्ड का आकार (मी. में)	क्षेत्र (वर्ग मीटर) न्यूनतम	विकास का प्रकार	भू-आच्छादन क्षेत्र प्रतिशत में	एफ.ए.आर. अधिकतम	एम.ओ.एस. (मी.) में				भूखण्ड के सागने मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई (मी. में)	अधिकतम उंचाई (मी. में)	एक भूखण्ड पर अधिकतम स्वीकार्य आवासीय ईकाइयां
						अग्र	पार्श्व	आजू	बाजू			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	4.0X8.0	20-32	पंक्ति	60	1.25	3.00	0.0	0.0	0.0	6	9	2
2	4.0X12.0	33-48	पंक्ति	60	1.25	3.00	1.5	0.0	0.0	6	9	2
3	5.0X15.0	49-75	पंक्ति	60	1.25	3.00	1.5	0.0	0.0	6	9	2
4	7.0X15.0	76-105	पंक्ति	50	1.25	3.00	1.5	0.0	0.0	7.5	9	2
5	9.0X15.0	106-135	अर्धपृथक्कृत	50	1.25	3.00	1.5	2.5	0.0	7.5	12.5	3
6	11.10X18.0	136-200	अर्धपृथक्कृत	50	1.25	3.00	2.5	2.5	0.0	9.0	12.5	4
7	12.0X18.0	201-216	अर्धपृथक्कृत	42	1.25	3.5	2.5	3.0	0.0	9.0	12.5	4
8	12.0X24.0	217-288	पृथक्कृत	40	1.25	4.5	2.5	3.5	1.5	9.0	12.5	4
9	12.0X24.0	289-360	पृथक्कृत	35	1.25	6.0	2.5	3.0	3.0	12.0	12.5	5
10	15.0X27.0	361-405	पृथक्कृत	35	1.25	6.0	3.0	3.5	3.0	12.0	12.5	5
11	18.0X30.0	406-540	पृथक्कृत	33	1.25	6.0	3.0	4.0	3.0	12.0	12.5	7
12	20X30.0	541-600	पृथक्कृत	33	1.25	6.0	3.0	4.5	3.0	12.0	12.5	7
13	25X30.0	601-750	पृथक्कृत	30	1.25	6.0	4.5	4.5	4.5	12.0	12.5	7
14	30X30.0	751-999	पृथक्कृत	30	1.25	6.0	4.5	4.5	4.5	12.0	12.5	7

नोट :

1. अनुक्रमांक 9 से 14 के भूखण्डों के समक्ष यदि 12 मीटर या उससे अधिक चौड़ा मार्ग उपलब्ध है तथा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् क्रियान्वित किये जाने वाले इस विकास में आवश्यक सेवाएँ एवं सुविधाएँ प्रावधानित हो तो ऐसे भूखण्डों पर बहु आवासीय ईकाईयां मान्य होगी अन्यथा केवल 4 आवासीय ईकाईयों की संख्या मान्य होगी।
2. यदि आवासीय भवन का निर्माण 2.4 मीटर ऊंचाई के स्टिल्ट पर, स्वीकार्य ग्राउण्ड कवरेज की सीमा तक किया जाता है तो स्टिल्ट फ्लोर की ऊंचाई तथा ऐसे निर्मित क्षेत्र की गणना, क्रमशः भवन ऊंचाई तथा एफ.ए.आर. से नहीं की जाएगी।

2. अध्याय-4**उपयोग परिसरों के नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण**

4-सा-13

अनु. कं.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल (हेक्टर में)	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई (मीटर में)	भू-तल अधिकतम कवरेज (प्रतिशत में)	एफ. ए. आर.	ऊंचाई (मीटर में)	न्यूनतम एम.ओ.एस. (मीटर में)			न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फण्टेज (मीटर में)
							सामने	पीछे	साईड्स		
60	भूखण्डीय विकास	2.00	6.00	30-60 एकल भूखण्ड पर	1:1.25	12.50	लेआउट अनुसार	लेआउट अनुसार	लेआउट अनुसार	A=100	(1)फण्टेज= ले-आउट अनुसार, (2) खुला क्षेत्र=10 प्रतिशत, (3) सेवा क्षेत्र=1.5 प्रतिशत

उपरोक्त को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

अध्याय-4**उपयोग परिसरों के नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण**

4-सा-13

अनु. कं.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल (हेक्टर में)	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई (मीटर में)	भू-तल अधिकतम कवरेज (प्रतिशत में)	एफ. ए. आर.	ऊंचाई (मीटर में)	न्यूनतम एम.ओ.एस. (मीटर में)			न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फण्टेज (मीटर में)
							सामने	पीछे	साईड्स		
60	भूखण्डीय विकास	कोई नहीं	6.00	30-60 एकल भूखण्ड पर	1:1.25	12.50	लेआउट अनुसार	लेआउट अनुसार	लेआउट अनुसार	A=100	(1)फण्टेज= ले-आउट अनुसार, (2) खुला क्षेत्र=10 प्रतिशत, (3) सेवा क्षेत्र=1.5 प्रतिशत

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownmplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे। यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में "मध्यप्रदेश राजपत्र" में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

स्वतंत्र कुमार सिंह, संचालक.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक . . . मार्च 2020

अधिसूचना क्रमांक 93 एफ 1-38-2019-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा निम्नलिखित नगर परिषद् चिचोली जिला बैतूल में वर्तमान परिषद् के सहविस्तारी कार्यकाल या राज्य शासन के अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो तक के लिये उनके नाम के सामने अंकित व्यक्तियों को पार्षद के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है :—

स. क्र.	नगर परिषद् का नाम	क्र.	नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम, पिता/पति का नाम एवं पता
1. जिला बैतूल			
1.	नगर परिषद्, चिचोली, जिला बैतूल.	1	श्री कमलेश सोनी पिता स्व. श्री रामपाल सोनी, न. प. चिचोली, जिला बैतूल—मो. नं. 9425381969.
		2	श्री प्रदीप शुक्ला पिता स्व. श्री रामलाल जी., न. प. चिचोली जिला बैतूल—मो. नं. 9179083095, 9302788840.

अधिसूचना क्रमांक 92 एफ 1-38-2019-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा निम्नलिखित नगर परिषद् भेड़ाघाट, जिला जबलपुर में वर्तमान परिषद् के सहविस्तारी कार्यकाल या राज्य शासन के अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो तक के लिये उनके नाम के सामने अंकित व्यक्तियों को पार्षद के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है :—

स. क्र.	नगर परिषद् का नाम	क्र.	नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम, पिता/पति का नाम एवं पता
1. जिला जबलपुर			
1.	नगर परिषद्, भेड़ाघाट, जिला जबलपुर.	1	श्रीमती संगीता पति श्री साधूराम पंचवटी रोड, भेड़ाघाट जिला जबलपुर.
		2	श्री चतुर सिंह लोधी पिता श्री राजा लोधी, भडपुरा वार्ड क्र. 10, भेड़ाघाट, जबलपुर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार सिंह, उपसचिव.